

एसईसी -1/187(2)/2025/2301

दिनांक: 4 जून, 2025

लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाजा, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई - 400051	कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड पहली मंजिल, फिरोज जीजीभोय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001
स्क्रिप कोड-RECLTD	स्क्रिप कोड-532955
Listing Department, National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, Bandra kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400 051	Corporate Relationship Department, BSE Limited 1 st Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001
Scrip Code-RECLTD	Scrip Code-532955

विषय : 4 जून 2025 को आयोजित बोर्ड की बैठक के परिणाम।

महोदय/महोदया,

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 की अनुसूची III के साथ पठित विनियम 30 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह सूचित किया जाता है कि आरईसी लिमिटेड ("आरईसी"/"कंपनी") के निदेशक मंडल ने 4 जून, 2025 को आयोजित अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विचार किया और अनुमोदन किया:

- निधि जुटाना:** 1,55,000 करोड़ तक के असुरक्षित/सुरक्षित गैर-परिवर्तनीय बॉन्ड/डिबेंचर के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से निधि जुटाने का प्रस्ताव, आगामी वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") में शेयरधारकों के अनुमोदन के अधीन है। शेयरधारकों द्वारा प्रस्ताव पारित करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के दौरान, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से, एक या अधिक किस्तों में निधि जुटाई जाएगी।
- परियोजना विशिष्ट एसपीवी/सहायक अनुषंगी बंद करना:** राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड नामक एसपीवी, जो आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड ("आरईसीपीडीसीएल" - आरईसी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, को बंद करने का प्रस्ताव, जहां भी आवश्यक हो, वैधानिक/प्रशासनिक प्राधिकारियों की अपेक्षित स्वीकृतियों/सहमति/अनुमोदनों के अधीन है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(87) के प्रावधानों के अनुसार उक्त कंपनी आरईसी की सहायक कंपनी भी है। अन्य अपेक्षित विवरण **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न हैं।

बोर्ड की बैठक 14:00 बजे शुरू हुई और 15:40 बजे समाप्त हुई।

धन्यवाद,

Jyoti Shubhra Amitabh
भवदीय,
(जे. एस. अमिताभ)
कार्यकारी निदेशक और कंपनी सचिव

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

क्षेत्रीय कार्यालय : बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, देहरादून, गुवाहटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पंचकूला, पटना, रायपुर, रांची, शिलांग, शिमला, तिरुवनंतपुरम और विजयवाड़ा

राज्य कार्यालय : वड़ोदरा, वाराणसी

प्रशिक्षण केंद्र : आरईसी इंस्टीट्यूट ऑफ पावर मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग (आरईसीआईपीएमटी), हैदराबाद

क्रमांक	विवरण	विस्तृत ब्यौरा
1.	पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सूचीबद्ध इकाई की ऐसी इकाई या प्रभाग द्वारा योगदान किए गए टर्नओवर या राजस्व या आय और निवल मूल्य की राशि और प्रतिशत।	पारेषण संबंधी राष्ट्रीय समिति (एनसीटी) ने अंतरराज्यीय पारेषण परियोजना नामक मध्य प्रदेश में राजगढ़ में आरई परियोजनाओं से विद्युत की निकासी के लिए पारेषण प्रणाली (1500 मेगावाट) एसईजेड - चरण-III" के लिए पारेषण सेवा प्रदाता के चयन हेतु बोली प्रक्रिया समन्वयक के रूप में आरईसीपीडीसीएल की सिफारिश की थी
2.	जिस तिथि पर बिक्री हेतु करार की प्रविष्टि की गई।	टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली (टीबीसीबी) दिशानिर्देशों के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल ने बोली प्रक्रिया को पूरा करने के लिए "राजगढ़ III पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड" नामक एक एसपीवी कंपनी को शामिल किया।
3.	बिक्री/निपटान की अनुमानित तिथि।	इसके बाद, एनसीटी ने उक्त परियोजना को किसी अन्य परियोजना के साथ जोड़ने की सिफारिश की है। तदनुसार, विद्युत मंत्रालय ने 18 मार्च, 2025 की अधिसूचना के तहत राजगढ़ चरण III (1500 मेगावाट) परियोजना को रद्द कर दिया।
4.	ऐसी बिक्री/निपटान से प्राप्त प्रतिफल	उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, जहां भी आवश्यक हो, उक्त एसपीवी को वैधानिक/प्रशासनिक प्राधिकारियों से अपेक्षित स्वीकृतियों/सहमति/अनुमोदनों के अधीन समाप्त करने का प्रस्ताव है।
5.	खरीददार का संक्षिप्त विवरण तथा क्या क्रेता प्रमोटर/प्रमोटर समूह/समूह कंपनियों से संबंधित हैं। यदि हां, तो उसका विवरण	लागू नहीं
6.	क्या यह लेन-देन संबंधित पक्ष लेन-देन के अंतर्गत आएगा? यदि हाँ, तो क्या यह लेन-देन एक दूसरे से दूरी बनाकर किया गया है?	
7.	क्या उपक्रम की बिक्री, लीज या निपटान की व्यवस्था योजना से बाहर है? यदि हाँ, तो एलओडीआर विनियमों के विनियमन 37 ए के अनुपालन सहित इसका विवरण दें	
8.	क्या लेन-देन मंदा बिक्री की प्रकृति का है।	